भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *272
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

ओडिशा के मामलों का लंबित होना

***272 डा. सस्मित पात्रा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित ओडिशा के उन मामलों की मंत्रालय-वार संख्या क्या है जिनमें केंद्र सरकार एक पक्षकार है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य के पुनरावर्ती या परिहार्य मुकदमों की पहचान करने के लिए कोई समीक्षा की है ; और

(ग) सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने तथा विवाद समाधान में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

ओडिशा के मामलों का लंबित होना के संबंध में पूछ गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *272, जिसका उत्तर दिनांक 13-08-2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क): लिम्ब्स (लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम) पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय में 25,294 मामलों में एक पक्षकार है । ओडिशा उच्च न्यायालय के संबंध में, केंद्रीय सरकार कुल 9,398 मामलों में पक्षकार है । लिम्ब्स पोर्टल पर ओडिशा से जुड़े मामलों के लिए विशिष्ट अधिकरण डाटा अलग से उपलब्ध नहीं है । लिम्ब्स पोर्टल पर उपलब्ध मंत्रालय-वार डाटा क्रमशः उपाबंध 1 और उपाबंध 2 पर दिया गया है ।

(ख) और (ग): सरकार ने पुनरावृति वाले और परिहार्य वादों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने, वादों में कमी लाने और विवाद समाधान में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, जिसके अंतर्गत "भारत सरकार द्वारा वादों के दक्ष और प्रभावी प्रबंधन के लिए निदेश" जारी करना भी सम्मिलित है । यह निदेश, अन्य बातों के साथ, लंबित मामलों के विश्लेषण, आवर्ती वादों की पहचान और प्रतिकूल परिणामों के मूल कारणों का पता लगाने की व्यवस्था करता है, जिससे सुधारात्मक उपाय किए जा सकें । यह निदेश विशेष रूप से आवर्ती वादों को व्यवस्थित समीक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और प्रणालीगत मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है, जिसमें विधायी ढांचे में कमियां और कार्यकारी कार्रवाई में कमी सम्मिलित हैं । ये निदेश वैकल्पिक विवाद समाधान के उपयोग, लिम्ब्स (लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम) के उचित उपयोग और नियमित रूप से अपील फाइल करने से बचने को भी प्रोत्साहित करते हैं ।

उपाबंध-1

उड़ीसा राज्य तक अविनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय और अधिकरण मामलों की पूरी रिपोर्ट (05/08/2026 तक)

क्र.सं.	मंत्रालय-वार	उच्चतम न्यायालय के मामले	अधिकरण के मामले
1	कृषि और किसान कल्याण	52	681
2	आयुष	55	259
3	रसायन और उर्वरक	31	71
4	नागरिक उड्डयन	53	88
5	कोयला	107	237
6	वाणिज्य और उद्योग	154	434
7	संचार/डाक विभाग	81	8069
8	संचार/दूरसंचार विभाग	381	4729
9	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	142	7021
10	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	61	93
11	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (एफसीआई)	280	476
12	सहकारिता	5	2
13	कारपोरेट कार्य	381	1162
14	संस्कृति	57	695
15	रक्षा	1256	64211
16	परमाणु ऊर्जा विभाग	29	292
17	अंतरिक्ष विभाग	6	193
18	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	0	6
19	भू - विज्ञान	6	118
20	शिक्षा	580	1740
21	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	76	318
22	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन	458	1374
23	विदेशी मामले	29	142
24	वित्त	16709	112034
25	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी	32	99
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2	1
27	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	444	2366
28	भारी उद्योग	7	7
29	गृह	988	1425
30	आवास और शहरी मामले	285	1160
31	सूचना और प्रसारण	64	976
32	जल शक्ति (जल संसाधन विभाग)	97	445
33	जल शक्ति (पेयजल और स्वच्छता)	0	0
34	श्रम और रोजगार	339	16030
35	विधि और न्याय	181	88
36	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	18	185
37	खान	53	321
38	रेल मंत्रालय	660	40241
39	अल्पसंख्यक मामले	31	12
40	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	4	10
41	पंचायती राज	0	1
42	संसदीय कार्य	1	0
43	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	196	1758
44	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	20	3
45	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	156	307
46	शक्ति	135	235
47	सड़क परिवहन और राजमार्ग	153	196
48	ग्रामीण विकास	36	22
49	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	12	190
50	कौशल विकास और उद्यमिता	6	118
51	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	155	67
52	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	7	149
53	इस्पात	12	75
54	वस्त्र	34	221
55	पर्यटन	0	129
56	जनजातीय मामले	39	18
57	महिला बाल विकास	114	61
58	युवा मामले और खेल	24	199
	कुल	25,294	2,71,560

उपाबंध-2

05-08-2026 तक उड़ीसा उच्च न्यायालय का मंत्रालय-वार ब्यौरा (लंबित मामले)

क्र.सं.	मंत्रालय	गिनती करना
1	कृषि और किसान कल्याण	75
2	आयुष	23
3	रसायन और उर्वरक	8
4	नागरिक उड्डयन	3
5	कोयला	141
6	वाणिज्य और उद्योग	33
7	संचार दूरसंचार	78
8	संचार (डाक विभाग)	194
9	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	1213
10	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	7
11	कारपोरेट कार्य	574
12	संस्कृति	43
13	रक्षा	335
14	परमाणु ऊर्जा विभाग	22
15	अंतरिक्ष विभाग	0
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	0
17	पृथ्वी विज्ञान	0
18	शिक्षा (शिक्षा मंत्रालय)	358
19	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	19
20	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन	139
21	विदेशी मामले	28
22	वित्त	2118
23	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी	15
24	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2
25	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	138
26	भारी उद्योग	1
27	गृह	633
28	आवास और शहरी मामले	23
29	सूचना और प्रसारण	27
30	जल शक्ति (जल संसाधन विभाग)	19
31	जल शक्ति (पेयजल और स्वच्छता)	0
32	श्रम और रोजगार	993
33	विधि और न्याय	6
34	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	63
35	खान	142
36	अल्पसंख्यक मामले	1
37	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2
38	पंचायती राज	0
39	संसदीय कार्य	0
40	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	69
41	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	0
42	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	208
43	शक्ति	13
44	रेल	1317
45	सड़क परिवहन और राजमार्ग	46
46	ग्रामीण विकास	11
47	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	15
48	कौशल विकास और उद्यमिता	14
49	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	69
50	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	1
51	इस्पात	45
52	वस्त्र	12
53	पर्यटन	3
54	जनजातीय मामले	61
55	महिला बाल विकास	23
56	युवा मामले और खेल	15
	कुल	9398
